

संख्या: 3 2018 / 2018/सिंचाई
दिनांक: 26/06/18 लखनऊ

दस्तावेज सं. 67-1689
एकमात्र संख्या: 19-6-18
दिनांक: 19-6-18

उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1
संख्या:- 2765 / सत्ताईस-1-2018-66 / 10
लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के समूह-क के अभियन्ताओं को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) का लाभ प्रदान किए जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-6(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नवत् विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाता है:-

(1)	प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
(2)	श्री जितेन्द्र राम त्रिपाठी, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(3)	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य

टी0 वेंकटेश
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 2765 (1) / सत्ताईस-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपिद्ध निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0) / परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री जितेन्द्र राम त्रिपाठी), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।



(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

ए (कै0 कै0) / 2018/सिंचाई

संयुक्त सचिव (सिंचाई विभाग)

2765/1